न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 160/2012

पीठासीन अधिकारी — करतार सिंह पूनियाँ
RAS

1 बोदुराम पुत्र रूड़ाराम।
2 बद्रीराम पुत्र रूड़ाराम।
3 सुवालाल पुत्र रूड़ाराम समस्त जाति जाट निवासीगण फुटाला वाया मुण्डरू तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 गोदाराम पुत्र गंगाबक्स।
2 घासीराम पुत्र गंगाबक्स।
3 भगवान सहाय पुत्र गंगाबक्स समस्त जाति जाट निवासीगण फुटाला वाया मुण्डरू तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
4 भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
5 पटवारी हल्का मुण्डरू।

रेस्पोंडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय एस.डी.ओ. श्रीमाधोपुर
दिनांक 08.10.12

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थित

1. श्री भागीरथ जाखड़ अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री महेन्द्र कुमार बुरड़क अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 14.03.2019

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 45/2012 में पारित निर्णय दिनांक 08.10.2012 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्ररकण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी रेस्पोडेंट नम्बर 01 ने अधिनस्थ न्यायालय एस डी ओ श्रीमाधोपुर जिला सीकर में अपनी भूमि खसरा नम्बर 736,737 में आवागमन करने हेतु अपीलांट की भूमि खसरा नम्बर 731,734 तन फुटाला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में से रास्ता चाहने हेतु एक आवेदन पत्र दफा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया था जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने आवेदन पत्र के तथ्यों के विपरित अपीलांट की भूमि खसरा नम्बर 727,731,721 में से रास्ता कायम करने का बिना किसी आधार के गलत आदेश दिया है। जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अधिनस्थ न्यायालय में आवेदक ने खसरा नम्बर 731 से 734 में से रास्ते की मांग की थी विचारण न्यायालय ने खसरा नम्बर 731,737 व 721 में से रास्ता कायम करने का आदेश दिया है। यह आदेश अनुतोष के

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

विपरित है विचारण न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्व है अपील स्वीकार कर निर्णय अपास्त किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि धारा 251ए के प्रावधानों संक्षिप्त प्रकिया होती है वैकल्पिक रास्ता नही होने, आत्यन्तिक आवश्यकता होने, निकटतम रास्ता होने के तथ्य विचार किये जाते है विचारण न्यायालय ने इन बिन्दुओं पर विचार कर निर्णय पारित किया है। जो विधि सम्मत है अपील सारहीन है खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एंव विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि प्रार्थी द्वारा खसरा नम्बर 731 से 734 तन ग्राम फुटाला पटवार हल्का मूण्डरू में से होकर दक्षिण दिशा से उत्तरी दिशा की तरफ 12 फुट चौड़ाई का रास्ता चाहा है। इसके विपरित विचारण न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का मूण्डरू कि रिपोर्ट दिनांक 05.09. 2012 के आधार पर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए में प्रावधान है कि मौका रिपोर्ट तहसीलदार अथवा आई.एल.आर के स्तर के अधिकारी द्वारा तैयार की जायेगी। प्रस्तुत प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए का है इसके प्रावधानों के अन्तर्गत मौका रिपोर्ट तहसीलदार अथवा आईएलआर स्तर के अधिकारी द्वारा तैयार की जाती है। इस सन्दर्भ में स्पष्ट है कि मौका रिपोर्ट तहसीलदार स्वंय द्वारा तैयार नही की जाकर पटवारी हल्का से तैयार करवाई है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के विधिक प्रावधानों के सर्वथा विपरित है इसके आधार पर पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है एवं विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को साक्ष्य सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान कर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के विधिक प्रावधानों की पालना में गुणावगुण पर पुन निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 11.04.2019 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 14.03.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

14/3/19

(करतार सिंह भूनिया)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर